संख्याः —/VII-2-17/109–एम0एस0एम0ई0/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 09 अगस्त, 2017

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–23 के अंतर्गत "एम0एस0एम0ई0 परियोजना प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) की स्थापना" योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्याः–1513/उ0नि0(पांच)–एम0एस0एम0ई0 (पी0एम0यू0)/2017–18 दिनांक 29.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–23 के अंतर्गत "एम0एस0एम0ई0 परियोजना प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) की स्थापना" योजना में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम चरण में धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0पच्चीस लाख मात्र) संलग्न अॅलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(ii) वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आ आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध क जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–610/ /XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(v) स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का वि एवं लाभार्थियों की सूची माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा लाभा धनराशि का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर लिया ज स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कर पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2018 तक श जायेगा।